न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 50/2018

निर्णय दिनांक :–17.03.2021

उनवानी दावा :

मोतीलाल मेहरा पुत्र लावाराम जाति कीर आयु 63 वर्ष निवासी ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

– वादी –

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी लालाराम जाति बैरवा निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. तहसीलदार देवली, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री बी.एल.कलवार
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 01.10.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली द्वारा बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2072–75 वाके ग्राम मुण्डिया खुर्द तहसील देवली के खाता संख्या 343 में दर्ज खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.25 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	मोतीलाल पुत्र लावाराम जाति कीर सा0 दूनी खातेदार नक्शा ट्रेस में नीले बॉल पेन के रंग से	1004	0.1875	बारानी 2	0.75

[signature]

	दर्शित				
	योग	किता–1	0.1875	–	0.75
	शान्ति देवी पत्नी लालाराम जाति बैरवा सा. धांधोली खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1004	0.0625	बरानी 2	0.25
	योग	किता–1	0.0625	–	0.25

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस तहसीलदार देवली को उक्तानुसार पालन हेतु निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अंतिम डिक्री

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....मुकाम

उनवानी दावा :

मोतीलाल मेहरा पुत्र लावाराम जाति कीर आयु 63 वर्ष निवासी ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

– वादी –

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी लालाराम जाति बैरवा निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. तहसीलदार देवली, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रतिवादीगण –

वाद विभाजन आराजियात

मुकदमा नं. 50 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बंशीलाल कलवार अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2072–75 वाके ग्राम मुण्डिया खुर्द तहसील देवली के खाता संख्या 343 में दर्ज खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.25 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है, की आराजी बाबत् दावा अंतिम निर्णय पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात होने से तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	मोतीलाल पुत्र लावाराम जाति कीर सा0 दूनी खातेदार नक्शा ट्रेस में नीले बॉल पेन के रंग से दर्शित	1004	0.1875	बारानी 2	0.75
	योग	किता–1	0.1875	–	0.75
	शान्ति देवी पत्नी लालाराम जाति बैरवा सा. धांधोली खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से	1004	0.0625	बरानी 2	0.25

	दर्शित				
	योग	किता–1	0.0625	–	0.25

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त ....

ओहदा ....

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।